



जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
(An Institution of National Importance under Ministry of Health & Family welfare)
धन्वंतरि नगर, पुदुच्चेरी /Dhanwantari Nagar, Puducherry- 605 006



वेबसाइट/Website: www.jipmer.edu.in

दूरभाष/Phone: 0413 – 2296022

फैक्स/Fax: 0413 – 2272067- 2272735

सं.प्रशा.1.8(122)/2022

दिनांक: 12.07.2023

कार्यालय आदेश

विषय: निचले ग्रेड के वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की वास्तविक तारीख से वेतन-नियतन के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.07.2017 के का.जा.सं. 13/02/2017-स्था.(वेतन-1), के साथ, एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के तहत अगली वेतनवृद्धि के दिनांक के विकल्प का प्रयोग - के संबंध में।

- संदर्भ:** 1) भारत सरकार के व्यय विभाग के का.जा.सं. 4-21/2017-आई.सी./ई.।।।-ए, दिनांक 28.11.2019 और सम संख्या दिनांक 04.07.2023 (प्रतिलिपि संलग्न)।
2) हमारा कार्यालय आदेश सं. प्रशा.1.8(122)/2022, दिनांक 18.08.2022 और सम संख्या दिनांक 19.09.2022.

उपरोक्त के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने पत्रांक 4-21/2017-आई.सी./ई.।।।-ए. दिनांक 04.07.2023 के माध्यम से मंत्रालय के का.जा. दिनांक 28.11.2019 के तहत अनुमति के अनुसार एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के तहत वेतन-नियतन के लिए विकल्प का प्रयोग/पुनःप्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान करने की अनुमति दी है, जो मंत्रालय के का.जा. दिनांक 04.07.2023 को जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर करना होगा।

अतः दिनांक 03.10.2023 तक उक्त विकल्प का प्रयोग या पुनःप्रयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

संस्थान के छूटे हुए कर्मचारी (जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं), जिन्हें दिनांक 01.01.2016 को या उसके बाद में पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन प्राप्त हुआ है, और जिन्होंने निर्धारित दिनांक को या उसके पहले अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है, वे दिनांक 03.10.2023 तक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

मंत्रालय का का.जा. दिनांक 28.11.2019 की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

इस आदेश को सभी कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस/-

(हवा सिंह)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

संलग्न: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.07.2017 के का.जा.सं. 13/02/2017-स्था.(वेतन-1) और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 28.11.2019 के का.जा.सं. 4-21/2017-आई.सी./ई.।।।-ए, दिनांक 28.11.2019 और सम संख्या दिनांक 04.07.2023 की प्रति।

.....2/-

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्षों/विभागों/अनुभागों के प्रभारी अधिकारी/एकक प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस अध्यादेश को अपने नियंत्रणाधीन सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष (शैक्ष.)/संकायाध्यक्ष (अनु.)/उप निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के वैयक्तिक सहायक।
3. संकायाध्यक्ष (कारैक्काल), जे.एच.ई.यू., जिपमेर, पुदुच्चेरी।
4. आई.टी. विंग - जिपमेर वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
5. प्रभारी अधिकारी, हिन्दी सेल- हिन्दी में अनुवाद करने और जिपमेर वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
6. सूचना पट्ट।